BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926

Vol. XXXXIV 17th July 2013 No. 8

वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड इंट्री टैक्स पर चैम्बर में कार्यशाला

कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते कॉमर्शियल टैक्स ट्रिब्युनल के अध्यक्ष श्री आर. के. रतेरिया। उनकी बाँयीं ओर कॉमर्शियल टैक्सेस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मदन लाल गुप्ता। दाँयीं ओर क्रमश: चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल एवं श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं कॉमर्शियल टैक्सेस बार एसोसियेशन के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 29 जून 2013 को चैम्बर प्रांगण में "वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड इंट्री टैक्स पर एक कार्यशाला" का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन कॉमर्शियल टैक्स ट्रिब्युनल के अध्यक्ष श्री आर० के० रतेरिया ने किया ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत सम्बोधन में व्यापारियों की टैक्स सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि वैट पहली अप्रैल 2005 में लागू किया गया जिसके अन्तर्गत व्यवसायियों को सभी तरह का टैक्स देना अनिवार्य हो गया है । राज्य के अन्दर माल परिवहन हेतु D-VIII अनुज्ञा प्रपत्र को Electronically जनित कर 16 मई से लागू कर दिया गया है । लेकिन 17 मई को इसकी Software Launching हुई है । अप्रैल 2013 में विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा D-VIII जनित करने के लिए BHR- I, II एवं III को भरने का प्रावधान था उसके जगह पर फार्म D-VIII (BHR-I) बनाया गया है । D-VIII पर माल परिवहन की सीमा को 50 हजार से घटाकर 25 हजार कर दिया गया है जिसका व्यवसायी विरोध करते हैं । वर्त्तमान में D-VIII में भी कई त्रुटियाँ हैं, जिसे दूर करने की आवश्यकता है ।

कॉमर्शियल टैक्सेस बार एसोसियेशन के महासचिव श्री ए० के० पाण्डेय ने व्यापारियों के समक्ष इन्ट्री टैक्स भुगतान में आने वाली परेशानियों पर प्रकाश डाला ।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कॉमर्शियल टैक्स ट्रिब्युनल के अध्यक्ष श्री आर० के० रतेरिया ने कहा कि विधि साक्षरता की जानकारी पहुँचाने का प्रयास समाज के हर वर्ग तक होना चाहिए । विधि के प्रावधानों पर चर्चा आम लोगों के बीच और खुले मंच पर होनी चाहिए । कानून में मेरा हस्तक्षेप नहीं हैं, लेकिन विधि के प्रावधानों पर सिर्फ कोर्ट और न्यायविदों के बीच चर्चा होती है, जबकि आवश्यकता है आम लोगों के बीच चर्चा करने और उन्हें जागरूक करने की । उन्होंने कहा कि इन्ट्री टैक्स का एक पक्ष सीधा उपभोक्ताओं से जुड़ा है । बाहर से आने वाले उपभोक्ता वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष टैक्स लगता है, जो बाद में प्रत्यक्ष टैक्स हो जाता है । इन्ट्री टैक्स सामयिक विषय है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । आने वाले समय में कॉमर्शियल टैक्स का स्ट्रक्चर स्ट्रीम लाइन में होगा, कॉमर्शियल टैक्स और सहज होगा । उन्होंने कहा इस कार्यशाला में की गयी चर्चा पटना से निकल कर दिल्ली तक जायेगी ।

कार्यशाला में कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री मदनलाल गुप्ता, कॉमर्शियल टैक्स के अधिवक्ता श्री आर० के० अग्रवाल, श्री एल० एन० रस्तोगी, श्री डी० बी० गुप्ता, श्री डी० भी० पथी, श्री एस० डी० संजय, श्री जे० एन० सहाय, श्री रविन्द्र प्रसाद, श्री के० पी० मोर सहित कई अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री शशिमोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सहित चैम्बर एवं बार एसोसियेशन के सदस्य एवं प्रेस प्रतिनिधि काफी संख्या में मौजूद थे । धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा ने किया ।

केन्द्र को विशेष 'ट्रीटमेंट' देना होगा

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित 'बिहार मांगे इसाफ' सोमिनार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केन्द्र की भाड़ा समानीकरण नीति के कारण दक्षिण और पश्चिम के राज्यों का औद्योगिक विकास हुआ लेकिन पूर्वी राज्यों की हालत खराब हो गई। अगर यह नीति नहीं बनती तो उद्योग वहीं लगते जहां पर खनिज होता। सिर्फ एक नीति की ऐसी मार पड़ गई पूर्वी राज्यों पर कि स्थिति आज तक नहीं सुधरी। केन्द्र को इन राज्यों को ऊपर उठाने के लिए नीति बनानी होगी। हम बहुत पीछे हैं, हमें विशेष 'ट्रीटमेन्ट' देना पड़ेगा, हमारे लिए विशेष फेसला लेना होगा।

श्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार जब विशेष राज्य की बात करता है तो यह सिर्फ एक राज्य से जुड़ी मांग नहीं होती। यह तमाम पिछड़े राज्यों की आवाज होती है। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मुझसे बार-बार पूछते हैं, बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, कल को दूसरे राज्य भी यही मांग कर सकते हैं। तब मेरा एक ही जवाब होता है, पिछड़ेपन के मानक बदलिए और जो भी राज्य इस पर खरा उतरे, उन्हें विशेष दर्जा दीजिए। (साभार : हिन्दुस्तान, 25.6.2013)

क्लस्टरों के विकास से मिलेगा छोटे उद्योगों को बढ़ावा

केन्द्र के टिफेक ने दिया मदद का भरोसा,
विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई संभावनाओं की तलाश

बिहार में उद्योंगों का विकास माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज क्लस्टर (एमएसएमई) को विकसित करके ही होगा। इन्हें तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा। इसमें हर संभव मदद केन्द्र सरकार का टेक्निकल इन्फामेंशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल (टिफेक) करेगा। टिफेक, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक डा. प्रभात रंजन और परामर्शी संजय सिंह ने राज्य के विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा के सामने यह घोषणा की। केन्द्र सरकार के ये अधिकारी बिहार के एमएसएमई के क्षेत्र में टिफेक के योगदान की संभावना तलाशने आए थे। बिहार इनोवेशन कांउसिल और योजना एवं विकास विभाग ने संभावना की तलाश में एक व्यापक बातचीत सूचना भवन सभागार में आयोजित की। इसमें सरकार के विभिन्न विभागों के साथ ही उद्योग संघों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.7.2013)

परेव केंद्र को सुचारू रूप से चलाएं : नवीन

विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ परेव पहुंचे उद्योग विभग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा ने सुविधा केन्द्र की समिति के सदस्यों को केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य सुविधा केन्द्र से कोई भी उत्पादक जुड़ सकता है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को इसको चलाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। (साभार: हिन्दुस्तान - 22.6.2013)

महिला उद्यमियों को सिडबी की विशेष मदद

महिलाओं में कारोबारी क्षमता विकसित करने के लिए सिडबी ने खास तौर पर एक कोष बनाया है। इसके जरिये महिला कारोबारी या ऐसे संगठन, जो कि महिलाओं द्वारा बने उत्पादों की बिक्री करते हैं। उन्हें सिडबी कोष सहयोग देता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) कोष के जरिये कारोबारियों और संगठनों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ मार्केटिंग में भी सहायता करता है। सिडबी मार्केटिंग के लिए घेरलू बाजार के अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सहयोग देता है।

किसे मिलती है सहायता : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के तहत आनेवाली महिला कारोबारी सिडबी के जरिये सहयोग प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे संगठन, कॉरपोरेट, सहकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन जो कि महिलाओं के जरिये बनने वाले उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हैं, वह सिडबी की स्कीम के पात्र हैं।

मार्केटिंग के तहत पात्र उद्योग : मार्केटिंग के जरिये मिलनेवाले सहायता में प्रमुख रूप से इंटरनेट, विज्ञापन, मार्केटिंग रिसर्च, वेयरहाउस, कॉमन टेस्टिंग सेंटर आदि कारोबार आते हैं। इसके अलावा महिलाओं का समूह, संगठन आदि, जिनके वेंडर भी महिलाएं हैं, उन्हें समूह के रूप में मार्केटिंग की सहायता मिलती है।

क्या मिलती है सहायता : पात्र कारोबारियों को सिडबी के कोष से उत्पाद क्षमता में विस्तार के लिए सहायता मिलने के साथ-साथ कार्यशील पूंजी के लिए भी सहायता मिलती है। इसके अलावा सरकारी खरीद नीति में महिलाओं को विशेष तरजीह भी दी जाती है। इसी तरह मार्केटिंग के लिए कर्ज देने के अलावा सेमिनार, वर्कशॉप, विक्रेता सम्मेलन, ट्रेड मेला, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के लिए भी कोष से वित्तीय सहायता मिलती है।

कैसे करें आवेदन : वित्तीय सहायता तय करते वक्त कारोबारी के पुराने रिकॉर्ड का भी अहम योगदान होता है। इसके अलावा कंपनी या संगठन में शीर्ष स्तर पर महिलाओं की भागीदारी भी मायने रखती है। पात्र कारोबारी या संगठन सिडबी के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं । इसके अलावा अपने आवेदन को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं।

सिडबी का पता : SIDBI Foundation for Micro Credit, SIDBI Tower, 15 Ashok Marg, Lucknow - 226001 • Ph. No. : +91- 522-2288547 / 48 / 49 / 50 • Email : sfmc@ sidhi. in (साभार : प्रभात खबर, 8.7.2013)

बिहाटा में अगले साल अप्रैल से शुरू होगा साइकिल का उत्पादन

विश्व की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी हीरो साइकिल्स लिमिटेड की बिहटा स्थित नई यूनिट में अगले साल अप्रैल से उत्पादन शुरू हो जाएगा। उद्योग मंत्री डा. रेणु कुमारी कुशवाहा और कंपनी के प्रबंध निदेशक पंकज मुंजाल ने बिहटा के औद्योगिक पार्क में इस यूनिट की आधारशिला रखी।

इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य की 75 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। लेकिन राज्य के आर्थिक विकास के लिए कृषि के साथ उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा की बदलते समय मे राज्य का माहौल बदला है। इसी का नतीजा है की नई-नई कंपनियां राज्य में उद्योग स्थापित करने आ रही हैं। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। (विस्तृत समाचार : हिन्दस्तान, 22.6.2013)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

Exit Policy (निर्गमण नीति)

अकार्यरत (Non- Functional) इकाईयों के लिये
जमीन वापसी कर पूँजी वापस पाने का अन्तिम अवसर।

केवल सीमित अवधि के लिये : 1 मई से 31 अक्टूबर 2013 तक

वैसे उद्यमी जो अपने आंवटित भूखंड का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हों एवं भूखंड को वापस करना चाहते हों, उनके लिए Exit Policy लागू किया गया है।

Exit Policy के तहत पात्र इकाई-

(I) जिन्होंने भूखण्ड आवंटित होने के बाद अपना उद्योग स्थापित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो परन्तु अब इकाई बंद है तथा वे पुन : चालू करने की स्थिति में नहीं हैं।

(II) वैसे उद्यमी जिन्होंने उद्योग को स्थापित करने की दिशा में आवश्यक एवं कारगर कदम उठाया हो, परनु सम्यक कारणों से वे इकाई को पूर्णत: स्थापित करने एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने में अपने-आप को अक्षम पा रहे हों।

(III) वैसे आवंटी जिन्होंने भूमि आवंटित होने के बाद सम्यक कारणों से उद्योग स्थापित करने की दिशा में आवश्यक एवं कारगर कदम न उठा पाये हों। इस कंडिका के तहत वही मामले अच्छादित होंगे, जिनका आवंटन दिनांक 1.4.2005 के बाद हुआ है।

यह नीति 1 मई 2013 से 31 अक्टूबर 2013 तक लागू रहेगी। उद्यमी इस Policy के तहत लाभ उठाने हेतु अपना आवेदन संबंधित बियाडा क्षेत्रीय कार्यालय या बियाडा मुख्यालय में जमा कर सकते हैं। नीति के कार्यान्वयन एवं अन्य जानकारी वेबसाईट www.biadabinar.in पर देखा जा सकता है या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रथम तल, उद्योग विभाग, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004
फोन - 0612-2375002/2675352/2675296

(साभार : हिस्दुस्तान, 27.6.2013)

कजरा, पीरपैंती व चौसा बिजली प्रोजेक्टों का रास्ता साफ
बिहार को कोल ब्लॉक

केंद्र सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बिहार को बड़ी सौगात दी है। केस-टू बीडिंग के तहत भागलपुर के पीरपैंती, लखीसराय के कजरा और बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है। इन तीनों प्रोजेक्टों को पश्चिम बंगाल के वीरभूम कोल फील्ड के देवचा पचमी कोल ब्लॉक से कोयला मिलेगा। तीनों प्रोजेक्टों के लिए बिहार को 486 मीटरिक टन कोयला मिलेगा। कोल ब्लॉक नहीं मिलने के कारण ही इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू होने में परेशानी हो रही थी। राज्य सरकार को केवल जमीन व पानी उपलब्ध कराना है। संबंधित कंपनी को ही पूरी राशि खर्च करनी होगी।

प्रदेश में बिजली की वर्तमान स्थिति

बिहार को जरूरत	3500 मेगावाट
वर्तमान में उपलब्धता	1500-1700 मे.वा.
आवंटित केंद्रीय कोटा	2032 मेगावाट
बिहार का अपना उत्पादन	शून्य
हर महीने खरीद	200 मेगावाट
2015 तक बिजली	छह हजार मेगावाट
प्रति व्यक्ति खपत	122.11 यूनिट
राष्ट्रीय खपत	778.71 यूनिट

• पश्चिम बंगाल के वीरभूम कोल फील्ड के देवचा पचमी कोल ब्लॉक से मिलेगा कोयला • चौसा के लिए सतलज जल विद्युत निगम से हो चुका है करार • कजरा व पीरपैंती के लिए एनएचपीसी से चल रही बात • तीनों की लागत है सात-सात हजार करोड़ रुपये • जमीन अधिग्रहण पूरा • मिल चुकी है पानी के उपयोग की अनुमति • पर्यावरण का मिल चुका है क्लियरेंस।

3366 मेगावाट मिलेगी बिजली : तीनों जगह 660 मेगावाट की दो-दो यूनिटें लगनी है। तीनों प्रोजेक्टों में बिहार का 85 प्रतिशत हिस्सा है, इस हिसाब से 3960 मेगावाट वाली इन तीनों प्रोजेक्टों में बिहार को 3366 मेगावाट बिजली मिलेगी।

"केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से कोयला देने की सूचना दी है। कोल ब्लॉक मिलने से तीनों प्रोजेक्टों पर अब आसानी से काम किया जा सकेगा।"
— **संदीप पौंड्रिक**, सचिव, ऊर्जा विभाग

साल के अंत तक बाढ़ से बिजली : जल्द ही बाढ़ स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर की इकाई-1 (दूसरा चरण) में बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगा। इसका काम इस महीने पूरा हो जायेगा और इकाई से साल के अंत तक 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। यहां उत्पादित बिजली में से बिहार को 50 फीसदी बिजली मिलेगी। इसका समझौता केंद्र से पहले ही हो चुका है।

(साभार : प्रभात खबर, 5.7.2013)

उपभोक्ताओं के सामने तैयार होंगे बिजली बिल
बिजली बिल में अब गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं

• शहर के किसी भाग के बशिंदे किसी भी बिल काउंटर पर जमा कर सकेंगे अपना बिल • हर इलाके में बिल वितरण की तिथि रहेगी निर्धारित

बिल नहीं मिले तो शिकायत दर्ज कराएं : इलाके के लोगों को पहले से पता रहेगा कि आज उनके इलाके में बिल वितरण होगा। जैसे सोमवार को किस इलाके में बिजली बिल वितरण होगा इसकी पूर्व सूचना रविवार को ही दे दी जाएगी। जीएम के अनुसार अगर तय व पूर्व घोषित तिथि को बिजली बिल किसी उपभोक्ता को नहीं मिलता है तो वह इसकी शिकायत हेल्पलाइन नम्बर **18003456198** पर दर्ज करा सकता है।

पेसू पर भरोसा करें तो बिजली बिल में अब गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं होगी। अब इनके सामने ही बिजली बिल तैयार होंगे। फोटोग्राफी भी होगी मीटर की। अच्छी बात अब यह होगी कि बिजली बिल पर इनके भी हस्ताक्षर लिये जाएंगे।

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 8.7.2013)

खुद ही बढ़ा सकते हैं अपना बिजली लोड
पहली जुलाई से नवम्बर तक चलेगी योजना

बिजली उपभोक्ताओं को अपना बिजली लोड बढाने के लिए अब विद्युत कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। न ही इंजीनियरों व अधिकारियों की चिरौरी करनी होगी। वे खुद ही घर बैठे अपना लोड बढ़ा सकते हैं या घोषित कर सकते हैं।

इसके लिए उन्हें सिर्फ निर्धारित फॉर्म व शुल्क जमा करना होगा। बढ़े हुए भार के बाद संशोधित शुल्क उनके अगले माह के बिजली बिल में जोड़ दिया जाएगा। पावर होल्डिंग कंपनी ने इसके लिए वालेन्ट्री डिक्लीयरेशन ऑफ लोड स्कीम (वीडीएमएस) लाने की घोषणा की है। पहली जुलाई से यह योजना प्रारंभ होगी और नवम्बर तक चलेगी। इस अवधि में कोई उपभोक्ता अपने घरेलू या व्यावसायिक कनेक्शन का लोड बढ़वा सकता है। इसके लिए उसे कोई पेनाल्टी या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। जिस दिन वे अपना लोड घोषित करेंगे, उसी दिन से उनका बढ़ा लोड मान्य होगा। यह योजना संपूर्ण बिहार के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है।

कैसे बढ़ाएं लोड : घर में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों की संख्या और उसके द्वारा खपत होने वाली बिजली का आकलन करें। इसके लिए दिए गए फार्म में उनकी क्षमता दी गयी है। इस आधार पर पूरे घर की खपत क्षमता का आकलन कर सकते हैं। फार्म को भरकर निर्धारित शुल्क के साथ वहीं जमा कर दें जहां बिजली बिल जमा करते हैं। आपका लोड बढ़ा हुआ माना जाएगा। पैसा जमा करने के बाद रसीद लें। यही आपका प्रमाण है कि आपका लोड़ बढ़ गया है। अगले माह से संशोधित बिल मिलने लगेगा।

उदाहरण : ट्यूबलाइट जलाते हैं तो उसकी क्षमता 20 से 40 वाट है। पंखे की क्षमता 60 वाट है। इस तरह जितनी सामग्री है उन्हें जोड़ दें। एक हजार वाट पर एक किलोवाट होगा। इसी आधार पर लोड का निर्धारण करें।

अभी क्या है नियम : इस समय उपभोक्ता को लोड बढ़ाने के लिए आवेदन देना होता है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी का कोई इंजीनियर उसकी जांच के लिए जाता है। जांच में तमाम बातें उसके विवेक पर है कि वह कैसे लोड का आकलन करता है। इस प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलंब होता है। महीनों लग जाते हैं निपटारे में। आवेदन के बावजूद उपभोक्ता छापेमारी के शिकार हो रहे हैं।

किस उपकरण का कितना लोड : ट्यूब : 20-40 वाट, पंखा : 60 वाट, म्यूजिक सिस्टम : 25 वाट, वेक्यूमक्लीनर : 250 वाट, टीवी : 60-100 वाट, मिक्सी : 60 वाट, फ्रिज : 200 वाट, कूलर : 200 वाट, हीटर : 1000 वाट, वाशिंग मशीन : 250 वाट, गीजर : 1500 वाट, ओवेन : 2000 वाट, एयरकंडीशन : 1500-2250 वाट, स्प्लीट एसी : 2250 वाट, कम्प्यूटर : 100 वाट, प्रिंटर : 150 वाट, पम्प : 375 वाट, इन्वर्टर : शुन्य।

कितनी राशि देना होगी : • सिंगल फेज (घरेलू) : 75 रु फिक्स व 400 रु. प्रति किलोवाट • सिंगल फेज (गैर घरेलू) : 75 फिक्स व 1200 रु. / किलोवाट • सिंगल फेज से थ्री फेज (घरेलू) : 1300 रु. फिक्स व 400 रू. प्रति किलोवाट थ्री फेज (घरेलू) से थ्री फेज (गैरघरेलू) : 1300 फिक्स व 1200 / प्रति किलो वाट • सिंगल फेज से थ्री फेज (गैर घरेलू): 1300 रु. फिक्स व 1200 रु. प्रति किलोवाट • एलटीआईएस - 1 से एलटीआईएस -2 : 2000 रु . फिक्स व 1200 रु. प्रति किलोवाट (25 एचपी से 99 एचपी) • एलटीआईएस - 1 : 500 रु . फिक्स व 1200 रु. प्रति एचपी • एलटीआईएस - 2 : 500 रु. फिक्स व 1200 रु. प्रति एचपी

विलम्ब न करें : अपना लोड घोषित करने में विलम्ब नहीं करना है, क्योंकि कंपनी की ओर से छापेमारी भी साथ-साथ जारी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नवम्बर तक की छूट लोड घोषित करने के लिए दी गयी है। नवम्बर तक की छूट उन्हें मौजूदा प्रावधानों से बचाने के लिए है।

क्या है दंड : एक किलोवाट के लिए 3000 रुपये • घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और 10500-11500 रुपये • गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। किलोवाट के हिसाब से यह राशि बढ़ती जाएगी।

क्या फर्क आएगा : एक किलोवाट के लिए औसतन मासिक लगभग 15 रुपए की वृद्धि। राशि में मामूली बढ़ोतरी।

कहां से लें फार्म : फार्म (प्रपत्र-ए) संबंधित दफ्तर के साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसे फोटो स्टेट करके भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर खुद उसी आधार पर तैयार कर लें।

"उपभोक्ताओं को सुविधा देने और उन्हें दफ्तरों से मुक्ति दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे सिस्टम को पारदर्शी बनाने में भी सुविधा होगी।"
— संजय अग्रवाल, एमडी, नार्थ-साउथ, बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.6.2013)

राज्य को मिली और 50 मेगावाट बिजली

30 जून 2013 (रविवार) की आधी रात से राज्य को पहले के वनिस्पत 50 मेगावाट ज्यादा बिजली मिलने लगी है। यह अतिरिक्त आवंटन केन्द्र सरकार ने फरक्का स्टेज थ्री से किया है। यहां से पहले 62 मेगावाट बिजली मिलती थी। इस बढोतरी के साथ स्टेज थ्री के 500 मेगावाट की इकाई में राज्य की हिस्सेदारी 112 मेगावाट हो गई है। फरक्का स्टेज वन और टू में राज्य की हिस्सेदारी 438 मेगावाट है।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.7.2013)

कनेक्शन नहीं काट सकती बिजली कंपनी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपूर्ति कंपनी उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई किसी भी स्थिति में नहीं रोक सकती। चाहे उपभोक्ता पर बिजली चोरी जैसा संगीन आरोप ही क्यों न हो। यदि ऐसा करने दिया गया तो पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा और मनमानी बढ़ जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.6.2013)

फ्यूज काल सेवा 24 घंटे

रात में ही बनेंगी बिजली की छोटी-मोटी गड़बड़ियां

कंट्रोल रूम में करें शिकयत : राजधानी के बाशिंदे अब बिजजी की छोटी-मोटी गड़बड़ी की शिकायत भी मेन कंट्रोल रूम में राउंड द क्लॉक दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नम्बरों पर दर्ज करा सकते हैं- 0612-2280024, 0612-2280014

फोन पर मिलेगी सूचना : पहली बार फोन पर फ्यूजकाल की गड़बड़ी दूर होने की सूचना देने का फैसला किया गया है। शिकायत दर्ज करने के साथ फोन नम्बर भी दर्ज होगा। इसी नम्बर पर शिकायत दूर होने के बाद जानकारी दी जाएगी कि बिजली की शिकायत दूर कर दी गई है।

लोड शेडिंग की पूर्व सूचना : लोगों को अब पहले से पता रहेगा कि कब उनके इलाके में बिजली कटेगी। कितने देर तक बिजली कटी रहेगी। पहली बार लोगों को लोडशेडिंग की सूचना पहले ही दे दी जाएगी। केवल इमररजेंसी की स्थिति में इस तरह की सूचना नहीं दी जा सकेगी।

शहर के लोगों को बेहतर क्वालिटी की बिजली लगातार मिलती रहेगी। बिना किसी रुकावट के। इसके लिए पेसू द्वारा विशेष इंतजाम किये जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से चौबीसों घंटे फ्यूजकाल सेवा मुहैया करायी जाएगी। उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की पूर्व सूचना मिलेगी। शिकायत दूर होने पर फोन से जानकारी दी जाएगी।

— एस. एस. पी. श्रीवास्तव, जीएम पेसू पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.7.2013)

बिजली कटौती पर क्यों नहीं मांगते हैं मुआवजा

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने जनवरी, 2007 में बिहार विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदर्शन हेतु मानक एक्ट लाया था, इस एक्ट में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं नहीं मिलने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। मगर, जानकारी या जागरूकता के अभाव में लोग मुआवजे का दावा नहीं करते। इससे उनकी दिक्कतें खत्म नहीं होतीं।

चार घंटे में फ्युज नहीं बनी, तो मुआवजा : आयोग के स्टैंडर्ड ऑफ परफॉमेंस (एसओपी) एक्ट के तहत चार घंटे के अंदर फ्यूज कॉल की मरम्मत नहीं होने तथा बगैर सूचना दो घंटे से अधिक बिजली गुल रहने पर 50 रु प्रति दिन के हिसाब से मुआवजे दिये जाने का प्रावधान है। दावा करने पर यह मुआवजा होल्डिंग कंपनी अदा करेगी।

कैसे मिलगा मुआवजा: उपभोक्ता को सबसे पहले संबंधित आपूर्ति प्रमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता के समक्ष आवेदन देकर लिखित शिकायत करनी होगी। शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई की जायेगी। निर्धारित समयावधि में सुनवाई नहीं होने पर उपभोक्ता पावर होल्डिंग कंपनी के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (कंज्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल फोरम) में अपील करने के लिए स्वतंत्र होगा। रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश इस फोरम के अध्यक्ष हैं। इसमें उपभोक्ता व बिजली कंपनी दोनों पक्ष को सुन कर सुनवाई होगी। निर्णय से असंतुष्ट होने पर वह बिहार विद्युत विनायमक आयोग के पास अपील कर सकता है।

(विस्तृत समाचार : प्रभात खबर, 22.6.2013)

बिजली परियोजनाओं को मिलेगी जमीन

सरकार का प्रयास, बिजली की दशा में हो सुधार

• जमीन के अभाव में कई परियोजनाएं पड़ी हैं लंबित, इन पर काम शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने तेज की कवायद • बिहार सरकार ने वर्ष 2015 तक राज्य में बिजली की स्थिति में सुधार करने का वादा किया है • राज्य को 2015 तक विभिन्न स्रोतों से करीब 4,000 मेगावॉट बिजली मिलने की उम्मीद • बिजली परियोजनाओं से जुड़े करीब 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव लंबित, लेकिन जमीन की कमी के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा काम।

(विस्तृत सामाचार : बिजनेस स्टैडर्ड, 2.7.2013)

वोल्टेज की समस्ता का निवारण एवं तीनों फेजों में सही वोल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति के लिये

OWN YOUR TRANSFORMER SCHEME
(ट्रांसफार्मर स्वामित्व योजना- 2013)

- इस योजना का उपयोग आवासीय अपार्टमेंट, वाणिज्यिक या व्यवसायिक परिसर, प्रशासनिक कार्यालयों के परिसर, दुकान मार्केटिंग कम्प्लेक्स, उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं का समूह के लिए उपलब्ध होगा जिनका कुल आवेदित अथवा स्वीकृत निम्न विभव पर विद्युत भार 7 किलोवाट या उससे अधिक तथा 60 किलोवाट या उससे कम हो।
- इसके तहत उपभोक्ता 16/25/40/63/100 के. वी. ए. तक का अपना ट्रांसफार्मर निर्धारित शुल्क पर लगा सकते हैं।
- ट्रांसफार्मर के जलने / क्षतिग्रस्त होने के कारण विधुत आपूर्ति में हुई बाधा तथा अनावश्यक ट्रिपिंग से होगी मुक्ति।
- इस ट्रांसफार्मर से किसी अन्य उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। यह ऐच्छिक योजना है।

साथ ही "स्वैच्छिक भार घोषणा योजना-2013"
(VOLUNTARY DECLARATION OF LOAD SCHEME) में शामिल होकर लाभ उठाएं
योजना 1.07.2013 के तिथि से प्रभावी

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए देखें :
www.bsphcl.bih.nic.in अथवा संपर्क करें
अपने निकटतम विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल से।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (साभार : प्रभात खबर, 5.7.2013)

करबिगहिया बिजलीघर को मिलेगी म्यूजियम की शक्ल

• यूरोपियल तर्ज पर बिजलीघर कैम्पस में बनेगा इनर्जी पार्क • सौर ऊर्जा, पनबिजली व थर्मल बिजली का रहेगा मॉडल • बेकार मशीनों व स्क्रैपों को मिलेगा नया जीवन • लाइटनिंग के माध्यम से चिमनी बनेगी आकर्षक।

(विस्तुत समाचार : हिन्दुस्तान, 5.7.2013)

कोर्ट जाएगा बिल्डर एसोसिएशन

नगर निगम पर लगाया अपनी गलती छिपाने का आरोप

प्रदेश की बिल्डर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन, पुलिस और पटना नगर निगम पर बिल्डरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष मणिकांत ने जागरण से कहा कि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं कि तमाम निर्माण को रोक दिया जाए। मामला यह है कि नगर निगम अपनी गलती छिपाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। बिल्डर और वास्तुविदों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा यदि नई नीति है कि बिल्डरों को जो शहर के लोगों के घर का सपना पूरा कर रहे हैं, काम नहीं करने दिया जाएगा तो वे काम नहीं करेंगे। मणिकांत ने कहा प्लान रिपोट निगम ने दी, नक्शा अधिकृत वास्तुविदों ने बनाया। हमारी गलती क्या है। हमारे निर्माण को बिजली कनेक्शन देने से इंकार किया जा रहा है मानो हम अपराधी हों। उन्होंने कहा निगम और जिला प्रशासन की इस मनमानी के खिलाफ बिल्डर एसोसिएशन कोर्ट की शरण लेगा।

निगम से भी की जा सकती हैं शिकायतें : पटना नगर निगम आयुक्त कुलदीप नारायण ने कहा है कि कानून का पालन करने के लिए निर्माणों पर रोक लगाई गई है। निर्माण पर रोक लगाने का मकसद साफ है कि चीजों को और पारदर्शी बनाया जाए ताकि भविष्य में निर्माण नियम कायदे के अनुसार हो। श्री नारायण ने कहा यदि बिल्डर एसोसिएशन के लोगों को यह लगता है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है तो यह उनकी गलत सोच है। किसी को प्रताड़ित करना मकसद नहीं है। इसके बाद भी यदि कानून के पालन से किसी को किसी प्रकार की शिकायत है तो वह नगर निगम में भी शिकायतें लेकर आ सकता है। उनका पक्ष भी सुना जाएगा और इस मामले में यदि कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 25.6.2013)

करदाताओं को शिकायत पर मिलेंगे विशिष्ट नंबर

आयकरदाताओं को आयकर–रिफंड और कर आकलन के संबंध में विशिष्ट पावती नंबर मिलेगा जिसके साथ दो महीने के भीतर उनकी शिकायत के समाधान का आश्वासन भी होगा। अफसरों ने बताया कि हाल में पेश इस प्रक्रिया से भ्रम नहीं बढेगा और यह फिलहाल आयकरदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले पैन, टैन यूटीएन (विशिष्ट हस्तांतरण संख्या) जैसे विशिष्ट नंबर से अलग होगा। आयकर विभाग के लिए नीतियां और नियम बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देशभर में अपने सभी मुख्य आयुक्तों से कहा है कि वे तुरंत प्रभाव से करदाताओं के लिए यह नई सुविधा प्रदान करें।

सूत्रों के मुताबिक सीबीडीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत करदाताओं के सुधार संबंधी आवेदन की प्राप्ति और शिकायत के निपटान की प्रक्रिया को सुव्यस्थित करने के आदेश के बाद पांच जुलाई को ये निर्देश जारी किए थे। करदाता चाहे यह आवेदन सामान्य डाक या खुद जाकर अथवा ऑनलाइन दे सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2013)

सरकार नहीं कर सकती नगर आयुक्त का तबादला

नगर आयुक्त कुलदीप नारायण का तबादला नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट ने उनके तबादले पर रोक लगा दी है। वे पटना नगर निगम के नगर आयुक्त के पद पर तबतक बने रहेंगे जबतक तबादले के लिए अदालती आदेश न दिया जाए। राज्य सरकार अगर कुलदीप नारायण को किसी दूसरी जगह भेजना चाहेगी तो उनके लिए उसे कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश इसलिए दिया जा रहा है ताकि नगर आयुक्त काम के प्रति जवाबदेह रहें। अदालत ने कहा कि अदालती आदेश का पालन करने की बारी आती है तो अधिकारियों का तबादला हो जाता है। उनके ओर से दिए गए आश्वासन भी उनके साथ समाप्त हो जाते हैं। पूर्व के अधिकारी की जगह दूसरा अधिकारी आता है तो फिर से नया अध्याय शुरू हो जाता है। अब यह नहीं चलेगा।

फुटपाथी दुकानदार रखें डस्टबीन : सडक किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को कचरा रखने के लिए डस्टबीन रखना होगा। जिस दुकानदार के पास डस्टबीन नहीं होगा निगमकर्मी उनसे फाइन लगाकर वसूली और कानून के तहत कार्रवाई करेंगे।

दुकानदारों को जमा कचरा निगम की ओर से चिन्हित कचरा प्वाइंट पर डालने को कहा गया है ताकि निगम कचरा को साफ कर सके। इस आशय का एक आदेश पटना हाईकोट ने जारी किया। अदालत ने कहा कि चाउमिनए अंडा, फल, सब्जी, चाट व गुपचुप सहित कई फुटपाथी दुकानदार कचरा सड़क पर ही फेंक देते हैं। इसे सख्ती से रोकना होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.7.2013)

डिफॉल्टर ट्रक अब नहीं रुकेंगे चेकपोस्ट पर

ट्रांसपोर्टरों को वाणिज्य कर विभाग से एक बड़ी राहत मिली है। विभाग ने निर्देश जारी किया है कि पूर्व में विभाग की ओर से जितने भी डिफॉल्टर ट्रकों की सूची जारी की गई है, उन्हें रोका अब नहीं जाएगा। ऐसे ट्रकों का नम्बर रजिस्टर में दर्ज करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। बशर्ते उन्हें एक महीने के अंदर यह बताना होगा कि क्यों उनका ट्रक डिफॉल्टर हुआ था। अगर एक महीने के अंदर ट्रक ऑपरेटर अपना स्पष्टीकरण दे देता है तो उन्हें डिफॉल्टर सूची से हटा दिया जाएगा। अगर नहीं दें पाते हैं तो ऐसे ट्रकों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। जानकारों का कहना है कि विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है कि ताकि चेकपोस्ट पर ट्रकों का जाम नहीं लगे। पिछले दिनों वाणिज्य कर विभाग ने लगभग 1000 ट्रको को डिफॉल्टर सूची में डाल दिया था। ऐसे में विभाग ने यह निर्णय लिया कि अब डिफॉल्टी ट्रकों को नहीं रोका जाएगा। रजिस्टर पर इंट्री करने के बाद उन्हें जाने दिया जाएगा। बाद में एक महीने के अंदर डिफॉल्टर ट्रक ऑपरेटरों को इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा कि किन कारणों से आउट चेकपोस्ट पर इंटी नहीं करायी गई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.7.2013)

खाद्य सुरक्षा का मिला अधिकार

अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने किए दस्तखत

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की दो–तिहाई जनसंख्या को 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर हर महीने पांच किलोग्राम खाद्यान्न देने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिहाज से लाये गए अध्यादेश पर 05.7.2013 को हस्ताक्षर कर दिए।

दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम	
अनुमानित वार्षिक सरकारी खर्च	1,25,000 करोड़ रु.
खाद्यान्न की वार्षिक आपूर्ति	6.2 करोड़ टन
गरीबी रेखा से नीचे परिवार	6.52 करोड़
लाभन्वित	67.1% जनसंख्या

क्या मिलेगा

रु 3, रु 2 और रु 1 पर क्रमशः चावल, गेहूं और मोटे अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह

राष्ट्रपति सचिवालय ने 4.7.2013 की रात अध्यादेश को प्राप्त किया था और श्री मुखर्जी ने उस पर मुहर लगा दी। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दुनिया की इस तरह की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा होगा जिसमें सरकार हर साल देश की 67 प्रतिशत आबादी को करीब 6.2 करोड़ टन चावल, गेहूं या मोटा अनाज को आपूर्ति पर करीब 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

(विस्तृत समाचार : राष्ट्रीय सहारा, 6.7.2013)

बिहार में बनेंगे तीन एयरपोर्ट

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के विमान एवं पोत परिवहन को बडी छलांग के लिए तैयार करते हुए अगले वित्त वर्ष के लक्ष्य तय कर दिए जिनके मुताबिक करीब एक लाख करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छोटे स्तर के साठ नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अगले छह महीने में सार्वजनिक और निजी हिस्सेदारी की एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो जायेगा। पचास छोटे हवाई अड्डे बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में बनाए जाएंगे। इन छोटे हवाई अड्डों के निर्माण से घरेलू विमानन सेवा में क्रांति आएगी और देश कई ऐसे शहर विमान सेवाओं से जुड़ जाएंगे। जो अभी तक भूतल परिवहन पर ही निर्भर थे। बिहार में मुजफ्फरपुर, छपरा और सासाराम जैसे शहरों में ये नये हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।

(साभार : सन्मार्ग, 29.6.2013)

कानून में होगा संशोधन

नॉन बैंकिग कंपनियों पर लगेगा अंकुश

पश्चिम बंगाल में अप्रैल में शारधा ग्रुप द्वारा लाखों निवेशकों के साथ करोडों की धोखाधड़ी का मामला सामने आने पर बिहार में भी इन कंपनियों पर नकेल कसने की की कार्रवाई शुरू हुई। पर अफसरो को अधिकार की कमी के कारण अंकेक्षण का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब सरकार ने महाराष्ट्र के तर्ज पर कानून में संशोधन की तैयारी कर ली है।

महाराष्ट्र के तर्ज पर बनेगा कानून : वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने बताया कि प्रलोभन देकर धन उगाही करनेवाली नॉन बैंकिग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आरबीआइ ने सरकार को परामर्श दिया है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से नॉन बैंकिग कंपनियों के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन किया गया है, उसी तरह का संशोधन यहां भी होना चाहिए। जल्द ही बिहार जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम दो में संशोधन किया जायेगा। बैंकिग उप समाहर्ता को तलाशी के अधिकार देने को लेकर विधि विभाग से राय मांगी गयी है।

(विस्तृत समाचार : प्रभात खबर, 5.7.2013)

ECR Shelves Plan for New Railway Terminal in Patna

DERAILED *No forward movement in talks for land in lieu of Digha rail line.*

The East Central Railway (ECR) has shelved its plan to construct additional platforms and a new terminal for passenger trains on the vacant land adjacent to Patna Junction and opposite the Hardinge Park. This follows the ECR's failure to strike a deal with the government for bartering the 19.5-Km long Digha railway line for the plot opposite Hardinge Park, which was earlier used as private bus stand.

The ECR had long back opened a communication requesting the government to handover land either to set up officers' quarters at Hajipur or construct a railway terminal opposite Hardinge Park Patna in exchange for the Digha track. The plan was shelved as there was "no forward movement" ECR sources said.

(Source : Hindustan Time - 22.6.2013)

चार विभागों को राजस्व उगाही का नया लक्ष्य

विभाग का नाम	पूर्व निर्धारित	संशोधित लक्ष्य
वाणिज्य कर	13250 करोड़	13643 करोड़
उत्पाद	3530 करोड़	3680 करोड़
निबंधन	2478 करोड़	2628 करोड़
परिवहन	250 करोड़	800 करोड़
खान एवं भूतत्व	564 करोड़	645 करोड़
राजस्व एवं भूमि सुधार	205 करोड़	205 करोड़
अन्य विभाग	6.70 करोड़	6 करोड़
कुल	20219 करोड़	20962 करोड़

(साभार: प्रभात खबर, 6.7.2013)

बिहार को मिलेगी नौ नई ट्रेनें

प्रस्तावित नई ट्रेनें

- राजेन्द्रनगर – न्यू तिनसूकिया (साप्ताहिक एक्सप्रेस)
- पटना – भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस
- समस्तीपुर – बनमनखी (इस समय मघेपुरा तक)
- मुजफ्फरपुर – सीतामढ़ी पैसेन्जर
- कोलकाता – सीतामढ़ी साप्ताहिक एक्स
- पाटलिपुत्र – यशवंतपुर एक्सप्रेस
- शक्तिनगर – वाराणसी एक्सप्रेस
- पाटलिपुत्र – चंडीगढ़ एक्सप्रेस
- सीतामढ़ी – छौड़ादानो पैसेन्जर

नई रेल लाइनें आमान परिवर्तन

मधेपुरा–मुरलीगज : 22 किमी.

मुरलीगंज–बनमनखी : 18 किमी.

छौड़ादानी–रक्सौल : 24 किमी.

दोहरीकरण

कुरसेला–काढ़ागोला: 16 किमी

कटरिया–कोसी केबिन : 4 किमी

सोनपुर–हाजीपुर गंडक पुल : 4 कि.

हो रहा काम – नई लाइन

खगड़िया–बिशुनपुर : 2 किमी

बिथान–हसनपुर : 5.5 किमी

आमान परिवर्तन

कृत्यानंदनगर – पूर्णिया : 10 किमी

महासेतु लक्ष्य : • पटना गंगा महासेतु (4.9 किमी) – मार्च 2015 • मुंगेर गंगा महासेतु (3.9 किमी) दिसम्बर 2014 • हाजीपुर गंडक सेतू (719 मी.) दिसम्बर 2013

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.6.2013)

Digha Rail Bridge By March 2015, Says ECR GM

DEADLINE OVERSHOOT *Substantial work on the rail bridge had already been done when government, in keeping with the interest of the state, decided to convert it into a rail -Cum-road bridge*

The railways set at, rest speculations of fund crunch in the construction of the Digha-Sonepur rail-cum-road bridge and said it would be ready by March 2015.

General Manager, east central railways , Madhuresh Kumar, said that the railways had received 180 Crore this year and the authorities were regularly reviewing fund utilisation and availability. It would again review the fund position between August and October this year so that project was completed by March 2015

ECR MILESTONES :

- *Of the 78 road over bridges (ROBs) sanctioned under ECR, 16 have been completed and 62 are under construction*
- *The Kumhrar ROB in Patna is likely to be ready by September-October this year*
- *Railway colony of 250 -300 quarters, to come up at Digha. Another proposed at Sonepur*
- *ECR realised 1634 crore through ticket sales, 32.56 crore in ticket-checking and 8,273.71 crore in freights during 2012-13*
- *For catering complaints one could call helpline nos. 06224-222380, 224208, 273293 and even e-mail to ccmc.ecr@gmail.com & ccmc@ecr.railnet. gov.in*

COMING UP...

- *180 crore sanctioned this fiscal for ongoing works on Digha - Sonepur rail-road link*
- *Patliputra station to be functional in two months. Four trains to originate and terminate there*
- *Digha - Patna railway line may be handed over to state to develop a Bailey Road-Digha link*
- *Private freight terminal- dry port coming up at Digha. Private operators to help develop it*
- *Railway projects at Bela, Harnaut, DEMU depot at sonepur ready to go on stream*
- *ECR residential colony of 300 houses at Digha and another facility at Sonepur mooted*

(Details : Hindustan Times, 29.06.2013)

INDIAN RAILWAYS ANNOUNCES
Revised Refund Rules
w.e.f. 01.07.2013

RESERVED TICKETS :

- *Full refund (minus cancellation charge) shall be given if confirmed reserved ticket is surrendered 48 hours before the scheduled departure of the train.*
- *25 per cent of the fare as cancellation charge if the confirmed reserved ticket is presented between 48 hours to 6 hours before the scheduled departure of train.*
- *50 per cent of the fare as cancellation charge if the confirmed reserved ticket is presented between 6 hours before the scheduled departure of the train and 2 hours after the actual departure of the train.*

UNRESERVED TICKETS :

- *Can be cancelled within 3 hours after issue subject to payment of clerkage charges.*

WAITLISTED OR RAC TICKETS :

- *Will be refunded subject to deduction of clerkage charges if presented upto 3 hours after the actual departure of the train.*
- *Special provision for night trains leaving between 21.00 hours and 06.00 hours (actual departure)*

POSTPONEMENT OR PREPONEMENT OF JOURNEY ON CONFIRMED/ RAC / WAITISTED TICKETS

- *Allowed provided the ticket is surrendered at least 48 hours before the scheduled departure of train in which originally booked.*
- *Allowed for the same destination for the same or higher class in the same or any other train.*

REFUND OF FARE UNDER OTHER CIRCUMSTANCES - BANDH, AGITATION, FLOODS ETC.

- *Ticket Deposit receipt (TDR) shall be issued to the passengers up to 3 days after the scheduled departure of the train. Refund may be applied within 10 days from the day of commencement of Journey.*

No hike in the existing clerkage / cancellation charges.

Detailed Revised Refund Rules may be seen on Indian Railways website www.indianrailways.gov.in

(Source : Times of India, 30.6.2013)

गांवों में ही मिलेगा जमीन का नक्शा

इसी माह से शुरू हो जायेगी परियोजना

जमीन का नक्शा लेने के लिए राज्य मुख्यालय या जिला मुख्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आपको अपने गांव या पंचायत ही में वसुधा केंद्रों और अंचल कार्यालयों में जमीन का नक्शा मिलेगा। राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने जमीन का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इस माह के अंत तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरूआत नालंदा, शेखपुरा व भागलपुर से होने वाली है। इसके बाद अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जायेगा।

(विस्तृत समाचार: प्रभात खबर, 2.7.2013)

खासमहाल जमीन ऐसे ही रद्द नहीं कर सकती सरकार

कथित खासमहाल पॉलिसी की शर्तें थोपी नहीं जा सकतीं : हाईकोर्ट

पटना स्थित खासमहाल की जमीन को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अनेक दशकों से पीढी-दर-पीढ़ी चली आ रही खासमहाल की जमीन की लीज को एक झटके में राज्य सरकार रद्द नहीं कर सकती है। इसी तरह सरकार अपनी इच्छानुसार कोई मापदंड भी खासमहाल की जमीन को लेकर तय नहीं कर सकती। इतना ही नहीं सरकार कथित खासमहाल पॉलिसी की शर्तों को थोप भी नहीं सकती है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने लीज रद्द करने संबंधी आदेश को रद्द करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया।

(विस्तुत समाचार : हिन्दुस्तान , 9.7.2013)

जलजमाव नहीं करेगा परेशान

बरसात में राजधानी में जलजमाव होने पर उससे निपटने के लिए दर्जनभर सरकारी तंत्र मिलकर काम करेगा। नगर निगम ने शहर को चार जोन में बांटकर सभी तंत्रों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। विभिन्न सरकारी तंत्रों के बीच आपसी तालमेल बनाए रखने और जलजमाव की सूचना देने के लिए मौर्यालोक स्थित निगम मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।

ये हैं चार जोन : • नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र • पटना सिटी अंचल क्षेत्र • बांकीपुर अंचल क्षेत्र • कंकडबाग अंचल क्षेत्र।

इन नंबरों पर करें शिकायत : • केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर : 2911135, 3261372, 3261373 • टॉल फ्री नं. : 18002000071 • आईवीआर नं. : 0612-3054108 **(साभार : हिन्दुस्तान, 22.6.2013)**

मोबाइल अलर्ट के लिए सालाना रु 60 वसूलेगा स्टेट बैंक

देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैक (एसबीआई) के ग्राहको को बैंक से एसएमएस अलर्ट के लिए अब सालाना 60 रुपए का भुगतान करना होगा। माना जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक भी जल्द ही इसी तरह का कदम उठा सकते हैं।

एसबीआई ने कहा, जून 2013 को समाप्त तिमाही से सेवा कर सहित प्रति तिमाही 15 रूपए का एसएमएस शूल्क वंसूला जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह शुल्क क्या सिर्फ विशेष अलर्ट के लिए होगा या फिर नियामकीय दिशानिर्देश के तहत डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेनदेन पर भी लागू होगा। **(साभार: राष्ट्रीय सहारा, 1.7.2013)**

व्यापारियों को ई-मेल आईडी देना अनिवार्य

राज्य सरकार ने राज्य के सभी रजिस्टर्ड डीलरों को अपना ई-मेल आइडी देना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना अब व्यापारियों का नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

अगर किसी कारण से निबंधन हो भी जाता है तो भी आगे वे कारोबार नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वाणिज्य कर विभाग के सभी प्रपत्र के अलावा हर प्रकार की विभागीय नोटिस भी मेल पर भेजे जाएंगें। वैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों से वाणिज्य कर विभाग ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में राज्य के व्यापारियों को अगर कारोबार करना है तो उन्हें अब कम्प्यूटर सिखना होगा। बिना कम्प्यूटर सीखे अब कारोबार नहीं हो पाएगा। भविष्य में कारोबार करने में उन्हें काफी परेशानी होगी। इधर विभाग ने पुराने व्यापारियों को भी अपना ई-मेल आईडी देने को कहा है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2014 से देश में जीएसटी लागू होने की संभावना है। देश में जीएसटी लागू होते ही सभी काम ऑनलाइन होने लगेगा इसी को देखते हुए विभाग व्यापारियों को राहत देने के लिए धीरे-धीरे सभी काम को ऑनलाइन करते जा रहा है।

वैसे वाणिज्य कर विभाग ने ई-पेमेंट, ई-रिटर्न, सभी प्रकार के रोड़ परमिट एवं सभी प्रकार के प्रपत्र ऑनलाइन शुरू कर दिया है। ऐसे में विभाग ने सभी रजिस्टर्ड डीलरों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द कम्प्यूटर चलाना सीख जाएं। वैसे विभाग ने छोटे व्यापारियों के लिए बड़े-बड़े शहरों के मुख्य बाजारों में सहायता केन्द्र खोलने का प्लान किया है ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हालांकि पूर्व में विभाग ने कुछ स्थानों पर सहायता केन्द्र खोल रखा है।

(साभारः हिन्दुस्तान, 14.7.2013)

31 तक रिटर्न जमा नहीं तो रजिस्ट्रेशन रद्द

वाणिज्य कर विभाग ने सूबे के सभी व्यापारियों को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही का रिटर्न संबंधित अंचलों में जमा कर दें।

नियत समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अगले छह महीने तक व्यापारियों को 750 रुपए प्रति माह की दर से जुर्माना देना होगा। उसके बाद 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जुर्माना देना होगा। साथ ही यदि कोई व्यापारी पिछले 12 महीने से रिटर्न एवं टैक्स जमा नहीं किया है और इस बार भी जमा नहीं करता है तो विभाग उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैसे व्यापारी जिनका कारोबार फिलहाल बंद है वे घबराएं नहीं। जल्द से जल्द वाणिज्य कर विभाग के संबंधित अंचलों में इसकी सूचना इस महीने के अंत तक दे दें। अन्यथा व्यापारी किसी भी समय परेशानी में पड़ सकते हैं। बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। पहले टैक्स एवं विवरणी नहीं जमा करने वाले दुकानदारों को नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद भी अगर वह डीलर नहीं आता है तो विभाग उसका निबंधन रद्द कर देगा।

इधर वाणिज्य कर विभाग ने पिछले साल से ही ई-रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर व्यापारी ई-रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे अगस्त माह से फार्म सी नहीं मिलेगा। विभाग के अधिकारी का कहना है कि फार्म सी ऑनलाइन कर दिया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.7.2013)**

पेशाकर में रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था खत्म

नई व्यवस्था : यह व्यवस्था केवल व्यक्तिगत जमा करने पर लागू होगी।

प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब	
राशि	**टैक्स**
3 लाख तक	00
3 से 5 लाख तक	1000 रुपये
5 से 10 लाख तक	2000 रुपये
10 लाख से उपर	2500 रुपये

पेशाकर जमा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें अब रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने पेशाकर का रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। साथ ही एसेसमेंट की प्रक्रिया भी खत्म कर दी है। सरकार ने यह व्यवस्था केवल व्यक्तिगत पेशाकर जमा करने वालों के लिए किया है। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में काम करने वालों के लिए नहीं ।

वेबसाइट पर भी सुविधा : राज्य सरकार ने पेशाकर कर की पूरी जानकारी वेबसाइट पर भी दे दी है। वेबसाइट पर सभी प्रकार के प्रपत्र के साथ-साथ पेशाकर कर की पूरी नियमावली भी है। अगर लोग चाहे तो वेबसाइट से फॉर्म निकालकर आवेदन भर सकते हैं। सरकार यह भी व्यवस्था करने जा रही है कि विभाग के सहायता केंद्रों पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा हो।

(साभारः हिन्दुस्तान, 15.7.2013)

PT. GPO/R-10/NP-15/2012-2013 R.N. 4211/62

पी०सी०डी०ए० की त्रैवार्षिक आमसभा–सह चुनाव सम्पन्न

पी.सी.डी.ए. की त्रैवार्षिक आम सभा-सह चुनाव में उपस्थित अति विशिष्ट अतिथि, बी.सी.डी.ए. के पदाधिकारीगण एवं पीछे नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण।

पटना केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन (पी०सी०डी०ए०) का त्रैवार्षिक आम सभा–सह चुनाव दिनांक 30 जून, 2013 को सम्पन्न हुआ जिसमें श्री अर्जुन कुमार यादव, अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार, सचिव, श्री पारस नाथ, कोषाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए।

आम सभा का उद्घाटन बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री परसन कुमार सिंह ने किया।

इस अवसर पर अतिविशिष्ट अतिथि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल थे।

Chamber's Representation on ZRUCC, East Central Railway, Hajipur and ZRUCC, Eastern Railway, Kolkata

Shri Taj Bahadur Singh Jain, *New Kamla Stores, New Market, Patna 800 001 has been nominated to represent the Bihar Chamber of Commerce & Industries on Zonal Railway Users Consultative Committee (ZRUCC), East Central Railway, Hajipur for the term 2013-2015.*

Shri Shailendra Kumar Saraf, *President, Eastern Bihar Chamber of Commerce & Industries, Sujaganj, Bhagalpur-812 002 has been nominated to represent the Bihar Chamber of Commerce & Industries on Zonal Railway Users Consultative Committee (ZRUCC), Eastern Railway, Kolkata for the term 2013-2015.*

Members are requested to send their problems / suggestions to our above mentioned representatives with a copy to Bihar Chamber of Commerce & Industries.

बीएसएनएल मोबाइल काल सेंटर फिर चालू

बीएसएनएल का मोबाइल काल सेंटर फिर कार्य करने लगा है। 1503 डायल कर मोबाइल से संबंधित सभी तरह की जानकारियां प्राप्त की जा सकेगी। काल सेंटर न्यू डाकबंगला रोड स्थित सेंटर शाही कम्पलेक्स में स्थापित किया गया है। **(साभार : दैनिक जागरण, 6.7.2013)**

विनम्र निवेदन

1. माननीय सदस्यों की सेवा में वर्ष 2013–14 के लिए कार्यालय से सदस्यता शुल्क का विपत्र भेजा जा चुका है। कई सदस्यों ने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया है। जिन सदस्यों ने अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेजा है, उनसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्र भेजने की कृपा करें।
2. माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने अपना ई–मेल आईडी नहीं भेजा हो तो हमें शीघ्र भेजने की कृपा करें ताकि महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी आपको दी जा सके।

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296